

Dr. Vandana Suman
 Professor
 Dept. of Philosophy
 H. D. Jain College, Ara
 U.G. SEM - IV

MJC-06: Western Ethics
 (मानवशास्त्र - अतिशास्त्र)



दंड के सिद्धान्त -
"सुधारकारी सिद्धान्त"

Notes!

BOOKS (Reformative of educative theory) -

के अनुसार अपराधी को प्रतिहार की मान्यता से सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसे सुधार के लिए रखा जाता है। यहाँ दंड का लक्ष्य समाज का सुधार नहीं बल्कि अपराधी को सुधारना है। कोई अनुचित कोश किया जाये अपराधी को इसी के हित में दंड दिया जाता है, इसमें केवल हित में नहीं प्रयत्न अपराधी के कुछ कारण अवश्य होते हैं। यदि इन कारणों को हटा दिया जाए तो व्यक्त पुनः अपराधी नहीं कर सकता।

अपराधियों के कारणों को लेकर तीन प्रकार के मत हो जाते हैं -

- (क) अपराध - मानव विज्ञान (Criminal Anthropology)
- (ख) अपराध - समाज विज्ञान (Social Criminology)
- (ग) मनो विवलेषण - विज्ञान (Psyche-analysis)

अलग - अलग इन तीनों पर इसमें अनेक मतों का प्रकट पाया जाता है।



(क) अपराध -

Notes!

मानव विज्ञान (Criminal Psychology) अपराध - विज्ञान सुधारवादी सिद्धान्त का स्तम्भ बन करता है। "अपराध - विज्ञान की स्थापना इस सिद्धान्त पर है कि अपराध एक रोग है मानसोन्माद का एक वक्राक्रमगत अथवा अर्जित पतन की अवस्था है। इससे यह अनुमान निकलता है कि अपराधी की अप्रभुत चिकित्सा वह है जो उसे कोशिश करने की अपेक्षा रोगमुक्त करने का प्रयत्न करती है। कारागृहों के स्थान पर अस्पताल पागलखाने और सुधारखाना होने चाहिए।" अपराध एक प्रकार का रोग है। यह शारीरिक क्लिष्टताओं के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए अपराधी को जेल में नहीं बल्कि अस्पतालों एवं सुधारखानों में रखना चाहिए ताकि इसमें सुधार हो सके।

प्रत्येक अपराध के शारीरिक दोष के कारण उत्पन्न नहीं कहा जा सकता। अधिकतर व्यक्ति जो नैतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, वे कि शारीरिक दोष के कारण हैं। ऐसा अपराध फंडनीय है। मानसोन्माद अथवा शारीरिक दोष की स्थिति में व्यक्ति चित विभ्रान्त हो जाता है और इसकी क्रियाओं संकल्प-स्वातंत्र्य का अभाव हो जाता है। वह अपने अपने नियंत्रण भी रोकता है।
आधिकांश अपराध

जान-बूझकर नैतिक नियमों के भांग के कारण होने वाले अपराधों को जेल की हवा खिलाना आवश्यक अपराध को कठोरता मानना नीति के आधार पर विचार कर देना है। इसमें फुल-पाप प्रकार के अपराधों को जेल में रखा जाना उचित है।

अतः प्रत्येक अपराध को उन्माद द्वारा उत्पन्न नहीं कहा जा सकता। यह भी है कि कौन-कौन से अपराधी जेल की चहार दीवारी के अन्दर अधिक समय तक रहना पसंद करेंगे किंतु फागल खान में रखा जाना उसे ब्रांच में पसंद नहीं आएगा। इस प्रकार फागल खान या अन्य सुधारवाली अपराधी में सुधार लाने में असमर्थ है।

(ख) अपराध - समाजविज्ञान

जो (Social Criminology) - इसके अन्तर्गत अपराध प्रातिकूल सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। सामाजिक विषमताएं अप्रत्याचार, अत्यवस्था आदि अपराधों को उत्पन्न करती हैं। सामाजिक गठन ही ऐसा है जिसमें व्यक्ति-व्यक्ति में आर्थिक विषमता है। इस विषमता के कारण भी व्यक्ति अपराधी बनने को बाध्य होता है। अधिकतर योशियों के निवृत्तता के कारण ही होते हैं। अपराध

Notes

कर्म के लिए यह मानविक कृत्य कि समाज स्थित असमानता कुट्यवस्था इत्यादि का अंत आलोचना - यह सही कि अपराधी को उत्पन्न करने सामाजिक कृत्यवस्था और विषमताओं का प्रमुख हाथ रहता है। सभी अपराधी को विषय में यह बात लागू नहीं हो सकती। जानबूझ कर किसे गैर अपराधी सामाजिक विषमताओं के कारण उत्पन्न नहीं मान जा सकता। सभी अपराधी के लिए सामाजिक गठन को दोषी ठहराना अपराधी को मुक्त करना है।

में सुधार देना जानबूझ नहीं है। कमी-कमी के अंग - अंग अपराधी को अपराधवृत्तियों और अधिक से सबल एवं पक्की हो जाती है। ऐसा पाया जाता है कि कमी-कमी कोई नया अंग कट्या अपराधी भी राजा भ्रमण के द्वारा और अपराधी पुन जाता है। कमी-कमी सजा से अधिक सुदृढ़ सजापूर्ण व्यवहार अपराधी को सुधारने में सफल होता है। अपराधी को कमी-कमी समा करने पर वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। पश्चात्प द्वारा अपने सुधार हो जाता है। मनी विक्रम - विज्ञान

BOOKS

(Psycho-analysis) डा० जे०

रुन सिन्हा के ब्राव्हो में फ्रायड और उसके अनुयायियों का मत है कि असाभाविक मानवीय-कुम

अथवा अपराध की हुई मनोव्यक्तियों (repressed complex) या

बदध्याओं - असफल यौन प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न काम और विरूप की प्रवृत्तियों के प्रभाव में आकर

किए जाते हैं। अतः इस प्रकार के अपराधों की निकलना केवल

और शिक्षा से नहीं, बल्कि औपचारिक और शिक्षा से ही नहीं चाहिए।

सर्वोत्तम उपाय यह है कि अचेतन गुह्यतक में लगी हुई बदध्याओं

को चेतन स्तर पर लाया जाए और वृत्तों को इसके रोग का कारण बताया जाए। इसके बाद वृत्तों अपनी

बीमारी समझ जाता है और पाण्डुरूप इसका रोग दूर हो जाता है। इस प्रकार

अपराधी के सुधारण का यह एक विलक्षण तरीका है।

के अपराध आलोचना सभी प्रकार के अपराध लगी हुई वृत्तियों या

असुप्त बदध्याओं के कारण ही उत्पन्न नहीं होते। डा० सिन्हा के ब्राव्हो में

कुछ अपराध उन्माद के कारण उत्पन्न होते हैं।

कुछ बारिशिक कारणों के कारण कुछ अपराधी अविद्या

या आश्रय के कारण या कुछ आत भीतिक

Notes

निर्णय के कारण
 (5) कच्चे नीतिकु
 उल्लंघन करने के कारण। " इनमें
 सभी अपराध मनोविवर्तन - पद्धति
 द्वारा दूर नहीं हो सकते। प्रथम प्रकार
 के अपराधों से मुक्ति के लिए पागल-
 भावों सुधारवालाओं एवं औषधियों
 का प्रयोग होना चाहिए। दूसरे प्रकार
 के अपराध आधुनिकतम औषधियों
 द्वारा दूर हो सकते हैं। तीसरे प्रकार
 के अपराधों से मुक्ति प्रयत्न की
 मनोविवर्तन विधि द्वारा हो सकती
 है। चौथे प्रकार के अपराध अपराधी
 को ठपकी जाली का शान करा देने
 से दूर होते हैं। पांचवें प्रकार के
 अपराध सच्चे अपराध हैं, इसलिए
 ये कंड निर्णय हैं।

नीतिक दृष्टिकोण से मृत्यु कंड -
 (Capital Punishment from Ethical
 point of view)

मृत्यु कंड (Capital Punishment) नीतिक
 दृष्टिकोण से उचित है व सुधारवादी
 विद्वान्त के अनुसार मृत्यु की सजा
 उचित नहीं की जा सकती।
 अपराधी को अपने सुधार के लिए
 अवसर अवसर मिलना चाहिए।
 किसी अपराधी को मृत्यु कंड
 का अर्थ है कि सुसावना सुधार
 बनी रहती है। जब किसी
 अपराधी को मृत्यु की
 सजा होती है, तब यह

सजा भंगने के बाद यदि उसे
निर्दोष पाया जाए तो इस हालत में
उसके साथ न्याय नहीं किया जा
सकता। प्रतिकारवादी सिद्धान्त (Retributive
theory) का कठोरवादी रूप मूल्य-
कर्म का उचित मानता है। निष्पक्ष रूप
से देखने पर मूल्य की सजा
(Capital punishment) अवांछित
है। कभी-कभी यही सजा
उचित एवं आवश्यक भी हो जाती
है; किंतु इसे अपवाद स्वरूप ही
लेना चाहिए।

सुधारवादी सिद्धान्त
(Reformative theory) अधिक
आकर्षक लगता है; क्योंकि इसमें
अपराधी के सुधार की बात कही
जाती है किंतु निष्पक्ष रूप से
विचार करने पर प्रतिकारवादी
सिद्धान्त का मूल्य रूप (Malignant
view of the retributive theory)
ही सबसे अधिक संतोषप्रद हो जाता है।
अपराधी को उसकी परिस्थितियों के
दृष्टान्त में रखा जाए उचित है किंतु
उसका सुधार संभव है। अब व्यक्ति
को यह विश्वास हो जाता है कि
उस भ्रम कर्म के लिए पुरस्कार और
अभ्रम कर्म के लिए उचित दंड
मिलेगा। तब वह निश्चित रूप से
अपराध करने से अपने को
वर्केंगा। अतः दंड एवं पुरस्कार
के संतुलित वितरण से
ही अपराध निवारण
संभव है।